न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—106/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/106)

1. मदन पुत्र रामा, जाति जाट, निवासी ग्राम गहलोता, उपतहसील साकून तहसील दूदू, जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र किशना
2. रामरूघ पुत्र किशना
3. रामसुख पुत्र किशना
4. श्रीमती कानीदेवी पत्नी किशना
   जाति जाट निवासी ग्राम गहलोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, दूदू जिला जयपुर।

असल रेस्पोडेंटस

6. हरसुख पुत्र रामा
7. सायर पुत्र रामा
8. पांचीदेवी पुत्री रामा
9. लाली पुत्री रामा
10. केसर पुत्री रामा
11. श्योजीराम पुत्र श्रवण
12. रामचरण पुत्र श्रवण
13. सूरजमल पुत्र श्रवण
14. नौरती पुत्री श्रवण
15. मेहराम पुत्र सांवल
16. रामकरण पुत्र सांवल
17. गंगाराम पुत्र सांवल
18. श्योकरण पुत्र सांवल
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम गहलोता, उपतहसील साकून, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू राजस्व वाद संख्या 78/2019

उपस्थितः—

1. श्री बकुल कुमार अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 व 12, 15
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05
4. रेस्पोडेंट संख्या 6 से 11, 13, 14, 16 से 18 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—16.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 78/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किए, बिना कोई तनकीयात कायम किए उक्त प्रकरण में अन्य भी पक्षकाराना जो कि व्यथित पक्षकार हो सकते है को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.1.2023 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री पारित कर दी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 78/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 6 से 11, 13, 14, 16 से 18 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया व निम्न दस्तावेजों को हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 1. जमाबंदी सम्वत् 2067—2070 2. ट्रेक्टर की आर.सी. किशना पुत्र श्योराम के नाम से। 3. जयपुर सेन्ट्रल बैंक कॉपरेटिव लिमिटेड जयपुर द्वारा पारित एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2004 की प्रति। 4. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पारित विद्युत बिल की प्रति। 5. परिवार राशन कार्ड (किशना पुत्र श्योराम) की प्रति। 6. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर द्वारा रजिस्टर बैचान पत्र दिनांक 18.09.1973 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतिलिपि है जिनकी सत्यता संदेह से परे है तथा प्रस्तुत अपील के विधिक एवं सम्यक निस्तारण एवं समग्र न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज अहम एवं आवश्यक दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर गनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रार्थी एवं अन्य तरतीबी अप्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया जबकि प्रार्थी के पिता रामा एवं दादा जेताराम हैं जिनकी आराजीयात में हक व अधिकार लेने के उद्देश्य से ही उपरोक्त वल्दीयत को परिवर्तित कराया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त कर ली है। उपरोक्त निर्णय व डिक्री से प्रार्थी व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार है जिसे उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजीयात मे प्रस्तुत अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। चूंकि प्रस्तुत अपीलान्ट वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदार दर्ज नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता की वल्दीयत राजस्व अभिलेख में किशन पुत्र श्योराम होने से किशना पुत्र जेता दर्ज करवाए जाने हेतु अनुतोष विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में चाहा गया है, जिस हेतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण मे विचारण न्यायालय द्वारा किशना की वल्दीयत जेता होना अंकन करते हुए उक्त बाबत दुरूस्ती के आदेश पारित किए गए है। जिससे प्रस्तुत अपीलांट किसी भी रूप से व्यथित पक्षकार नहीं होने से अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत अपीलान्ट राजस्व अभिलेख में दर्ज त्रुटि को दुरूस्त कराए जाने के विरूद्ध खातेदार नहीं होने से उसके हक अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात होने बाबत वर्णित कथन अस्वीकार है, ना ही अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अतः उक्त मद में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर गनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रार्थी एवं अन्य तरतीबी अप्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को पक्षकार मुर्तिब किये बाले बाले ही निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। चूंकि प्रार्थी उक्त वाद में पक्षकार नहीं था वर्तमान में दिनांक 14.3.2023 को उक्त डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण की कार्यवाही कर नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन किया गया तो नकल लेने पर प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री करने पर अविलम्ब ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसे अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित की जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत नियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किये गये है, अस्वीकार है। उक्त मद में वर्णित तथ्य मिथ्या व बेबुनियाद अंकन किए गए है, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.1.2023 की जानकारी दिनांक 14.3.2023 को डिक्री की पालना मे नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन होने का अंकन करने बाबत कथन साक्ष्य के अभाव मे मिथ्या व बेबुनियाद व बनावटी है। वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात रही है। जिससे प्रस्तुत अपीलांट का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। उक्त मद में वर्णित तथ्य स्वयं मिथ्या व बेबुनियाद साबित है व 13 दिवस से अधिक की मियाद किसी भी रूप में कण्डोन किए जाने योग्य नहीं है। उक्त संदर्भ में तथ्यो को छिपाते हुए मिथ्या कथनो के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

12. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराशय नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

13. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया क्योंकि वास्तविक स्थिति यह है कि हरनाथ के दो पुत्र जेताराम व श्योराम हुए और जेताराम के तीन पुत्र सांवल, रामा व किशना हुए। किशना जो कि श्योराम के कोई वारिस नहीं होने पर गोद चला गया था एवं पक्षकारान के पडदादा हरनाथ द्वारा अपने जीवनकाल में ही बंटवारा कर दिया एवं इसी आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हरनाथ जो कि पक्षकारान के पडदादा हैं के द्वारा निष्पादित किया गया एवं किशना पुत्र श्योराम के पक्ष में दिनांक 18.9.1973 को निष्पादित किया गया जिससे स्पष्ट था कि किशना श्योराम का पुत्र था और जिसके आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में उक्त अंकन किया गया एवं श्योराम द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी इस बाबत कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया किन्तु रेस्पोडेन्ट के मन में बदनियती आने पर उनके द्वारा स्वयं की वल्दीयत परिवर्तित करवा कर श्योरान के स्थान पर जेताराम करवा कर जेताराम की भी आराजीयात में हक लेने हेतु उपरोक्त सारी कार्यवाही निष्पादित की गयी। वादग्रस्त आराजीयात बाबत स्वयं वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया गया है कि जैताराम के अन्य पुत्र एवं भाई काका किशना थे तो उनके वारिसान जो कि अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स हैं, को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये जाने के बाद ही किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जा सकता था किन्तु उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण में किसी भी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया एवं ना ही उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा किसी प्रकार की कोई तनकी विरचित की गई जबकि सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देकर ही किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में कहीं भी कोई विवेचन व विश्लेषण नहीं किया है बल्कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को केवल मात्र पुष्टि की गयी है जबकि पूर्व में इतने वर्षों पुराने रिकार्ड में भी किशना के पिता का नाम श्योराम दर्ज है एवं उसके द्वारा अपने जीवनकाल में कभी कोई आपत्ति नहीं की गई जिसकी विरासत का इन्तकाल खुलते समय भी वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई तो अब इस स्तर पर संशोधन करने का कानूनन अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है एवं उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने इस बिंदू को नजरअंदाज कर दिया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था ना कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण वल्दीयत अंकित की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 78/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2023 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

14. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश कर कथन किया कि जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या कुल किता 23 कुल रकबा 4.92 है0 भूमि वाकै ग्राम गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी वादीगण के पिता किशना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार किशना का स्वर्गवास दिनांक 7.12.2013 को हो चूका है। मृतक खातेदार किशना के एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी वादीगण है इस प्रकार विवादित भूमि से वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है मौके पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। वादीगण के पिता किशना के जैविक पिता जेताराम है तथा किशना जेता के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है। ग्राम पंचायत गहलोता द्वारा जारी सिजरा प्रमाणपत्र एवं जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 308 में दर्ज आराजी कुल किता 25 कुल रकबा 7.54 है0 किशना पुत्र जेता हिस्सा 1/3 एवं खाता संख्या 27 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 576, 577, 578, 579, 696, 697 कुल किता 6 कुल रकबा 7.62 दर्ज खातेदारी किशना पुत्र जेता हिस्सा 1/6 एवं खाता संख्या 307 के आराजी खसरा नम्बर 1456 में दर्ज खातेदारी किशना पुत्र जेता हिस्सा 1/12 का विरासत नामांतकरण संख्या 298 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा वादीगण के हक में इन्द्राज किया जा चुका है। जिससे प्रमाणित एवं साबित है कि किशना, जेता का जैविक पुत्र है तथा किशना पुत्र जेता के वादीगण विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है। वादीगण के दादा जेता पुत्र हरनाथ व वादीगण के छोटे दादा श्योराम पुत्र हरनाथ सगे भाई थे तथा दोनो सामलाति में रहते थे। श्योराम नावारिस निर्वसीयत फौत हो गये थे। हस्तगत विवादित आराजीयान का पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत 2011 से 2029 की खाता संख्या 36, 38, 186 के द्वारा वादीगण के दादा जैता वल्द हरनाथ के हक में जारी किया गया है इस प्रकार विवादित भूमि वादीगण के दादा जैता की सम्पति है वादीगण के दादा जैताराम द्वारा उक्त भूमि वादीगण के पिता किशना के हक में जरिये दस्तावेजात दिनांक 18.09.1973 के द्वारा पंजीबद्ध करवाया गया है जिसका अमल नानान्तकरण संख्या 185 दिनांक 24.01.1975 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया है जो कि सहवन से किशना पुत्र जैता के बजाय किशना पुत्र श्योराम दर्ज कर दिया गया है जबकी श्योराम वादीगण के पिता का काका लगता था तथा किशना के पिता का नाम जैता था इसलिये राजस्व रिकार्ड में भी वल्दीयत जैता ही दर्ज की जानी चाहिए थी तत्समय राजस्व कारकुनानो द्वारा किशना पुत्र श्योराम दर्ज कर दिया गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा वादीगण घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण के पिता किशना अनपढ़ एवं कृषि पैशा व्यक्ति थे राजस्व रिकार्ड मध्य दर्ज वल्दीयत की जानकारी नहीं रही तथा अपने जीवनकाल में विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर कृषि कार्य किया उनका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् वर्तमान में वादीगण मौके पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। उक्त इन्दाज लिपिकिय त्रुटिवश सहवन से एवं स्नेहवश पिता की जगह चाचा का नाम रिकार्ड में दर्ज हो जाने से अंकन किया गया है जो कि सद्भाविक एवं सम्य त्रुटि है जिसको न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से भी दुरूस्त किया जा सकता है चुंकि उक्त इन्द्राज के रिकार्ड में दर्ज रहने से वादीगण को राज्य सरकार द्वारा देय लाभों परिलाभो, अन्तारण, विरासतन अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

अनावश्यक परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये न्याय हित में वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री प्रदान किया जाना न्यायोचित हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर0बी0जे0 2020 पेज 569, आर0आर0डी0 2010 पेज 409

15. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा दिनांक 2.8.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। दिनांक 31.5.2022 को पैरोकार उपस्थित तहसीलदार द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 4.7.2022 को वादी द्वारा गवाह पी0डब्ल्यू 1 लक्ष्मण व पी0डब्ल्यू 2 रामसुख उपस्थित इनके शपथ पत्र पेश किए। वकील वादी द्वारा और साक्ष्य पेश करना जाहिर किया। दिनांक 13.7.2022 को वादी द्वारा पी0डब्ल्यू 3 लक्ष्मणलाल व पी0डब्ल्यू 4 रामधन चौधरी उपस्थित इन्हके शपथ पत्र पेश किए। वकील वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया। दिनांक 11.1.2023 को उभयपक्षों द्वारा बहस की गई। वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाए जाने से वाद डिक्री किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.1.2023 को रेस्पोडेंट/वादी का वाद स्वीकार केवल इस आधार पर किया गया कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सजरा पेश किया जिसमें रेस्पोडेंट/वादी ने किशना पुत्र जैता को ही कानूनन उत्तराधिकारी व एकलौता वारिस मान न्यायालय के सामने गलत सजरा पेश किया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त सजरे के अनुसार बिना उसकी जांच पडताल किए रेस्पोडेंट/वादी का वाद स्वीकार कर लिया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। चूंकि उक्त वाद में रेस्पोडेंट/वादी के दादा के एक भाई श्योराम जो फौत हो गए थे। अतः वादी के दादा जेताराम के तीन पुत्र किशना, रामा व सांवल हुए तथा श्योराम जो वादी के दादा के भाई थे उनके द्वारा रेस्पोडेंट/वादी के पिता के पक्ष में जरिए दस्तावेज दिनांक 18.9.1973 के द्वारा पंजीबद्ध करवाया गया है जिसका अमल नामांतकरण संख्या 185 दिनांक 24.1.1975 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में किशना पुत्र श्योराम अमल किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2067–2070, ट्रेक्टर की आर0सी0, जयपुर सेन्ट्रल बैंक कॉपरेटिव लिमिटेड जयपुर द्वारा पारित एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2004 की प्रति, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पारित विद्युत बिल की प्रति, परिवार राशन कार्ड (किशना पुत्र श्योराम) की प्रति, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर द्वारा रजिस्टर बैचान पत्र दिनांक 18.09.1973 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतिलिपि है जिनकी सत्यता संदेह से परे है क्यों कि सभी प्रमाणित प्रतिलिपि है और इन समस्त दस्तावेजात में किशना श्योराम के पुत्र के रूप में दर्ज है। जिसकी पुष्टि इन समस्त दस्तावेजात से होती है। चूंकि जैताराम के अन्य पुत्र रामा व सांवल भी थे जो पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी से स्पष्ट है कि किशना, राना व सांवल तीनों जैताराम के पुत्र व आपस में सगे भाई थे तथा उक्त वाद में रामा व सांवल के वारिसानों को जो प्रस्तुत वाद में अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस है को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिए जाने के बाद ही अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

का निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि सभी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए जो कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल वादी के वाद पत्र में अंकित कथनों व वादी द्वारा प्रस्तुत राजरे के अनुसार तथ्यों की केवल पुष्टि करते हुए व प्रकरण से संबंधित अन्य पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय पारित किया गया है। *अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2023 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।*

16. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 78/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2023 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपीलांट को वाद में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर, जवाबदावा प्राप्त होने के उपरांत वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का पुनः विधिनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करावें । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

17. निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner